पत्र संख्या 3172 /वि0ख0/जि0 वि0 कार्य0 निरी

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज,
उत्तरांचल, पौड़ी

सेवा में

समस्त विकास अधिकारी,
उत्तरांचल
समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तरांचल
समस्त परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम विकास अभिकरण,
उत्तरांचल

दिनांक देहरादून, फरवरी 5, 2003

विषय : विकास खण्ड एवं जिला विकास कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

वरिष्ट अधिकारियों ने खण्ड विकास कार्यालयों के निरीक्षणों में यह पाया है कि विकास खण्ड कार्यालयों के निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर रोस्टर नहीं बनाया गया है जिसके कारण एकीकृत विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी विकास खण्डों का निरीक्षण नहीं कर रहे है. इससे एक ओर जहा विभिन्न कार्यक्रमों का गुणात्मक स्तर अच्छा नहीं रह पाता वहीं वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में सभी अधिकारी विकास खण्डों का निरीक्षण करते हैं जिससे उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पाता है. विकास खण्ड विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है और यदि उनके नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निर्देशन में शिथिलता आती है तो विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का गुणात्मक स्तर भी गिर जाता है और तरह तरह की अनियमिततायें और शिकायतें होती है. अतः इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं.

1. विकास खण्डों/जिला विकास कार्यालयों में निरीक्षण हेतु एक प्रश्नावली तैयार कर सभी जिलों एवं जिलों के माध्यम से विकास खण्डों के उपयोग हेतु भेजी गयी है. उसी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी निरीक्षण हेतु सूचनायें उपलब्ध करायेंगे।

2. विकास खण्डों का निरीक्षण माह अप्रैल में ही प्रारम्भ कर दिया जाये जिसे वित्तीय वर्ष के अन्त में पूर्ण कर लिये जायें. वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो महीनों में निरीक्षण करने की प्रवृति को रोका जाये.

3. मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक प्रत्येक माह एक विकास खण्ड का निरीक्षण अवश्य करें तथा प्रत्येक माह चार–चार योजनाओं का भौतिक सत्यापन अवश्य करें.

4. मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेशक, निरीक्षण टिप्पणी निरीक्षण की तिथि के 15 दिन के अन्दर सम्बंधित विकास खण्ड एवं ग्राम्य विकास निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे. निरीक्षण टिप्पणियों का अनुपालन एक माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाये. एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के कार्य को वरीयता दी जाये तथा दूरस्थ व पैदल मार्गों के ग्रामों में हुये कार्यों का भी भौतिक सत्यापन किया जाये।

5. विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी, एवं सहायक विकास अधिकारी क्षेत्रीय कर्मचारियों के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं कर रहे है और न ही क्षेत्र में योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं. अतः खण्ड विकास अधिकारी अपने अपने विकास खण्डों में वर्ष में एक बार प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता के अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे तथा पांच योजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे. निरीक्षण टिप्पणी की प्रति जिला विकास अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर भेजेंगे.

6. सहायक विकास अधिकारी अपने–अपने सैक्टर में वर्ष में दो बार क्षेत्रीय कार्यकर्ता का निरीक्षण करेंगे तथा अपने–अपने सैक्टर में प्रत्येक माह पांच योजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे. सहायक विकास अधिकारी निरीक्षण की

एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र भ्रमण की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष के अंत में आपके द्वारा किये गये भ्रमण दिवस, रात्रि विश्राम, निरीक्षण एवं जिला / क्षेत्र पंचायतों की बैठक में भाग लेने के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जायेगा।

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
डा0 आर. एस. टोलिया
आयुक्त

प्रतिलिपि उपायुक्त (प्रशासन)/(कार्यक्रम) ग्राम विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय पौड़ी, को इस आशय से कि वे निर्धारित प्रश्नावली एवं प्रारूप पर विकास खण्डों एवं जिला विकास कार्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करें साथ ही विकास खण्डों के निरीक्षण के समय कुछ योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी करेंगे तथा सहायक आयुक्तों से भी विकास खण्डो तथा योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करायेंगे।

डा0 आर. एस. टोलिया
आयुक्त